न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 10/2020

1. मखन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासीयान 3 बी.बी. सैकिण्ड तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासीयान 3 बी.बी. सैकिण्ड तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार पदमपुर दिनांक 05.03.2020 अनवानी सरकार बनाम मखन सिंह आदि बनाम पत्रावली नम्बर 01/2020 में 50 गुणा तावान कायम करके फसल जब्त कर निलाम करने का आदश दिया गया को निरस्त करने हेतु

उपस्थित :

1. श्री तेजा सिंह संधू, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता

::आदेश :: दिनांक :–30.07.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत ने पटवारी हल्का पूनावाली द्वारा दिनांक 05.02.2020 को रिपोर्ट पेश की थी कि चक 3 बीबी मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1,2,9,10 कुल 1.012 हैक्टर, रकबा राज है जिस पर गेहुं नहरी अपीलाटान ने काश्त कर रखी है। आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त मुकदमा धारा 22 में दर्ज करके नोटिस जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया कि दिनांक 05.03.2020 तक अपना अधिभोग हटा लेवे। दिनांक 05.03.2020 को अधीनस्थ अदालत ने अपीलांटान को बिना समुचित अवसर दिये, बिना जवाब पेश किये आदेश पारित कर दिया जो विधि के विरूद्व होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ अदालत का आदेश एकतरफा आदेश है। दिनांक 05.03.2020 को अपीलांटान हाजिर आये और हाजिर आकर निवेदन किया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी अपना जवाब पेश कर अपना सबूत पेश करना चाहता है इसलिए पुनः जवाब के लिए तारीख दी जावें लेकिन अधीनस्थ अदालत ने अपीलांटान को बिना सुने, बिना जवाब का अवसर दिये, अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने के कारण काबिले खारिजी है। वादग्रस्त रकबा मुरब्बा नम्बर 14 में है और इसी रकबे के अन्दर शेष रकबा पहले प्यारा सिंह का था। प्यारा सिंह ने अपीलांटान को बेचान कर दिया जो अपीलांटान का खातेदारी रकबा है उस रकबे के अन्दर यह रकबा पड़ता है जो स्मालपेच की परिभाषा में आता है। अपीलांटान ने इसको आवंटन करवाने के लिए अलग से कार्यवाही कर रखी है यदि अपीलांटान बेदखल हो जाते है तो अपीलांटान का आवंटन प्रकरण निष्फल हो जावेगा। अपीलांटान ने प्यारासिंह से जमीन खरीद की थी प्यारा सिंह ने भी स्मालपेच का आवेदन पत्र दे रखा था और अपीलांटान ने स्मालपेच व नियमन के लिए कार्यवाही अलग से कर रखी है। उक्त भूमि पर अपीलांटान का 1995 से पूर्व का कब्जा है यदि किसी कारणवंश स्मालपेच में अलॉटमेंट नहीं होती तो राजस्थान उपनिवेशन में नये संशोधन के अनुसार 2000 से पूर्व का जिसका कब्जा हो और उसको बेदखल न किया गया हो तो उसको नियमन भी किया जा सकता है और उसमें सरकार डीएलसी रेट के हिसाब से पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करेगी। इसलिए अपीलांटान का यह महत्वपूर्ण बिन्दु था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ने कोई सुनवायी का अवसर ही नहीं दिया। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 05.03.2020 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अदालत ने पटवारी हल्का पूनावाली द्वारा दिनांक 05.02.2020 को रिपोर्ट पेश की थी कि चक 3 बीबी मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1,2,9,10 कुल 1.012 हैक्टर, रकबा राज है जिस पर गेहुं नहरी अपीलाटान ने काश्त कर रखी है। आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त मुकदमा धारा 22 में दर्ज करके नोटिस जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया कि दिनांक 05.03.2020 तक अपना अधिभोग हटा लेवे। दिनांक 05.03.2020 को अधीनस्थ अदालत ने अपीलांटान को बिना समुचित अवसर दिये, बिना जवाब पेश किये आदेश पारित कर दिया जो विधि के विरूद्व है। वादग्रस्त रकबा मुरब्बा नम्बर 14 में है और इसी रकबे के अन्दर शेष रकबा पहले प्यारा सिंह का था। प्यारा सिंह ने अपीलांटान को बेचान कर दिया जो अपीलांटान का खातेदारी रकबा है उस रकबे के अन्दर यह रकबा पड़ता है जो स्मालपेच की परिभाषा में आता है। अपीलांटान ने इसको आवंटन करवाने के लिए अलग से कार्यवाही कर रखी है यदि अपीलांटान बेदखल हो जाते है तो अपीलांटान का आवंटन प्रकरण निष्फल हो जावेगा। उक्त भूमि पर अपीलांटान का 1995 से पूर्व का कब्जा है यदि किसी कारणवंश स्मालपेच में अलॉटमेंट नहीं होती तो राजस्थान उपनिवेशन में नये संशोधन के अनुसार 2000 से पूर्व का जिसका कब्जा हो और उसको बेदखल न किया गया हो तो उसको नियमन भी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सुनवायी का अवसर ही नहीं दिया। अतः अपील अपीलांटान रवीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 05.03.2020 निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित भूमि वर्तमान में रकबा राज है जिस पर अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार पदमपुर धारा 22 की कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्मालपेच या नियमन का आवेदन करने से कोई भी रकबा अलाटमेंट नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.03.2020 विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त रकबा मौके पर पटवारी हल्का पूनावाली की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2020 से रकबा राज होना प्रमाणित है। लिहाजा अपीलार्थीगण का इस भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता । अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार पदमपुर दिनांक 05.03.2020 द्वारा चक 3 बीबी मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1,2,9,10 कुल 1.012 हैक्टर रकबा राज रिकार्ड दर्ज भूमि पर अपीलार्थी मखनसिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बीबी ने जिन्स गेहू नहरी की नाजायज काश्त की है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत दर्ज कर अप्रार्थीगण की सुनवाई कर रकबा राज नहरी भूमि पर रबी सम्वत् 2076 में गेहूँ की नाजायज काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया है। उपरोक्त विवेचन से नायब तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 विधिसम्मत है और इसमें दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः नायब तहसीलदार पदमपुर का बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ नायब तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★